'आर्थिक तंगी और बढ़ते कर्ज से किसान तबाह ओर बर्बाद हो रहा है'

कोटा, (निसं)। भारतीय राष्ट्रीय किसान महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज दुबे की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय किसान महासभा की कोटा संभागीय कार्यकारिणी की आवश्यक बैठक सोगरिया में संगठन कार्यालय पर सम्पन हुई। जिसमे किसानों की विभिन्न समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक मे आंदोलन की रुपरेखा तैयार की गई।

बैठक को सम्बोधित करते हुए राष्ट्रीय

■ 'अतिवृष्टि एवं जलभराव से खरीफ फसलों को हुए भारी नुकसान का तुरंत सर्वे कर मुआवजा दे सरकार'

भारतीय राष्ट्रीय किसान महासभा की बैठक मनोज दुबे की अध्यक्षता में संपन्न हुई।

अध्यक्ष मनोज दुबे ने कहा कि आर्थिक तंगी और बढ़ते कर्ज से किसान तबाह ओर बर्बाद हो रहा है। केंद्र सरकार किसानों की सम्पूर्ण कर्जमाफी की घोषणा कर किसानों को राहत दे। राजस्थान के किसानों पर 187322.27 करोड़ रुपए कृषि कर्ज के रूप में बकाया हैं। किसानों पर लगातार कर्ज बढ़ना सरकार के उन तमाम दावों को झूठा साबित करता है जिसमें सरकार द्वारा किसानों के उत्थान व कल्याण की बात कही जा रही है, देश के अलग-अलग राज्यों में बकाया कृषि कर्ज का विवरण देखने पर भयावह हालात सामने आए है। सरकार कह रही है कि हम केसीसी देकर किसानों को राहत देने का प्रयास कर रहे हैं। क्या केवल ऋण देना किसानों को राहत देना है? सरकार राष्ट्र के किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए एक बार राजस्थान सहित देश के किसानों का सम्पूर्ण कृषि कर्ज माफ़ करने की योजना बनाएं।

मनोज दुबे ने कहा की प्रदेश मे लगातार हो रही भारी बरसात से खरीफ फसलों को हुए भारी नुकसान का तुरंत सर्वे करवा कर सरकार पीड़ित किसानों को उचित मुआवजा दें। अतिवृष्टि व जलभराव से किसानों की फसलें पूर्ण रूप से चौपट हो गई है। किसानों की फसले खत्म होने के कगार पर है, किसान बर्बाद हो चुका है। राजस्थान सरकार प्रदेश को आपदाग्रस्त घोषित कर किसानो को आर्थिक सहायता देकर राहत दें।

मनोज दुबे ने कहा की अतिवृष्टि ने पूरे प्रदेश के किसानों को बर्बादी के कगार पर ला कर खड़ा कर दिया है। प्रदेश के अधिकांश जिलों में किसानों की मेहनत पानी में बह गई है। खेत अब नदी ओर तालाब बन चुके हैं। किसान अपने खेतों को देख कर रो रहे हैं। आज जब किसान अपना सब कुछ खोने की कगार पर है, तब सरकार मौन है? सरकार ने अब तक भी नुकसान का सर्वे एवं मुआवज़े का ऐलान नहीं किया जों घोर निंदनीय एवं दुर्भाग्य पूर्ण है।

मनोज दुबे ने कहा की किसानों को समय पर डीएपी एवं यूरिया खाद नहीं मिलने से खरीफ फसलों की बुआई मे देरी के बाद भारी बरसात किसानों के लिए आफत बन गई है। ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं होने से खेतों मे भारी जल भराव के कारण सोयाबीन, उड़द, तिल्ली आदी फसलों को भारी नुकसान हुआ है। अधिकांश सब्जियां भी बर्बाद हो गई है। राजस्थान में हुई भारी बारिश से खरीफ की फसल खराब होने से किसानों परेशानी मे है। महंगी खाद, बीज हंकाई-जुताई कीटनाशक सब बर्बाद हो गया है। जिसने धरतीपुत्रों के अरमानों पर पानी फेर दिया है।

अतिवृष्टि से हुए जल भराव से किसानों की सोयाबीन, मक्का, उड़द, तिल्ली आदि फसल बर्बाद हो गई है। सरकार अति शीघ्र गिरदावरी करवाकर किसानों को उचित मुआवजा दें। मनोज दुबे ने कहा की सरकार किसानों को डीएपी ओर यूरिया खाद तक पर्याप्त मात्रा मे उपलब्ध कराने मे पूर्ण रूप से विफल रही है। नकली खाद, बीज ओर पेस्टिसाइड से किसानों की खेती बंजर हो रही है। लेकिन सरकार नकली खाद, बीज ओर कीटनाशक माफियाओ पर अंकुश लगाने मे भी नाकाम रही है। किसानों पर चौतरफा अत्याचार हो रहा है, ओर भाजपा की केंद्र एवं राज्य सरकार सरकार तमाशा देख रही है। जिससे किसानों मे भारी आक्रोश व्याप्त हैं। इस अवसर पर संभागीय अध्यक्ष राकेश कुमावत, त्रिलोक मीणा, सत्तार मंसूरी, इरशाद खान, चन्द्र प्रकाश नागर (हरी पूरा) मुकेश मीणा, अब्दुल मोईन खान, लेखराम चौबदार, सहित कई वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। बैठक मे कोटा देहात अध्यक्ष हरभजन सिंह के आकस्मिक निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या मे कार्यकार्य मौजूद थे।

'सामाजिक संस्थाएं समाज के दुख, दर्द, पीड़ा में सहयोगी बनें'

कोटा, (निसं)। श्री कल्याणराय किराड़ क्षत्रिय विकास समिति की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथग्रहण समारोह रविवार को श्रीनाथपुरम स्थित किराड़ छात्रावास पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर थे। अध्यक्षता कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा ने की। इस दौरान विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला प्रमुख मुकेश मेघवाल, क्षत्रिय किराड़ महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री रामकुमार मेहता, रेल सलाहकार बोर्ड के सदस्य आशीष मेहता, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम मेहता, महासभा के प्रदेश अध्यक्ष रामविलास मेहता, पूर्व सरपंच शिवराम मेहता मौजूद रहे। इस दौरान नवनिर्वाचित अध्यक्ष गोविंद मेहता, युवा अध्यक्ष मनीष मेहता, महिला अध्यक्ष सुनीता मेहता की नवनियुक्त कार्यकारिणी ने शपथग्रहण की। संबोधित करते हुए ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि सभी समाज संगठित होकर राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी निभाएं। राष्ट्र निर्माण के लिए हमें सर्वसमाज को साथ लेकर सबके विकास और हित की बात करनी होगी। हम सभी मिलकर राष्ट्र की उन्नति में योगदान दें। यह समय की आवश्यकता भी है। सभी सामाजिक संस्थाएं समाज के दुख, दर्द, पीड़ा में सहयोगी बनें।

विधायक संदीप शर्मा ने कहा कि किराड़ समाज राष्ट्रवादी समाज है। जो सनातन की रक्षा की भूमिका में रहा है। किराड़ समाज खेती किसानी के साथ-साथ शिक्षा और व्यापार में भी आगे बढ़ रहा हैं। आशीष मेहता ने कहा कि किराड़ समाज अन्न उपजाकर देश की सेवा कर रहा है। गाँव ढाणी में रहने वाले नौजवान को अच्छी शिक्षा के द्वारा आगे बढ़ाया जा सकता है। सभी मिलकर समाज की एकता, उन्नति और विकास के लिए कार्य करें।

जिले भर में दबिश देकर 205 आरोपी पकड़े

रावतभाटा, (निसं)। महानिरीक्षक पुलिस रेंज उदयपुर गौरव श्रीवास्तव के निर्देश पर जिला पुलिस ने अपराधियों की धरपकड़, गिरफ्तारी व एरिया डोमिनेंश के लिए रविवार को विशेष अभियान चलाकर जिले के समस्त पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों की 69 विशेष टीमों द्वारा विभिन्न संदिग्ध स्थानों पर दबिश देकर कार्रवाई करते हुए कुल 205 अपराधियों को गिरफ्तार किया है।

कार्यवाही के दौरान दो प्रकरण एनडीपीएस एक्ट, 06 प्रकरण आबकारी अधिनियम, एक प्रकरण आर्म्स एक्ट व एक प्रकरण आरएनसी एक्ट में दर्ज किया गया। जिला पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि महानिरीक्षक पुलिस उदयपुर रेंज गौरव श्रीवास्तव के निर्देश पर वांछित अपराधियों की धरपकड़, गिरफ्तारी एवं एरिया डोमिनेंस के लिए एक विशेष अभियान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चित्तौड़गढ़ सरिता सिंह के सुपरविजन में रविवार को संपूर्ण जिले में चलाया गया। वृत्तवार एवं थानावार अपराधियों की सूचीयां तैयार कर उनकी धरपकड़ के लिये अलग-अलग टीमों का गठन किया गया। समस्त पुलिस उप अधीक्षकों से वांछित अपराधियों की सूची एवं दबिश टीम तथा दबिश स्थान चिन्हित कर उन्हे अंतिम रूप दिया गया एवं समन्वय स्थापित करते हुए धरपकड़ कार्यवाही की गई।

जिले के शहर चित्तौड़गढ़, ग्रामीण चित्तौड़गढ़, गंगरार, कपासन, बेगू, रावतभाटा, बड़ीसादड़ी, निम्बाहेड़ा व भदेसर वृत्त के समस्त वृत्ताधिकारी एवं थानाधिकारियों के नेतृत्व में कुल 69 विशेष टीमें गठित की गई। जिसमें समस्त थाना, पुलिस लाईन के जाब्ता सहित पुलिस कर्मियों को एकत्रित किया गया। रविवार तड़के कुल 323 पुलिसकर्मियों द्वारा जिले के 402 संदिग्ध स्थानों पर दबिश दी गई, जहां से विभिन्न मामलों में वांछित चल रहे स्थाई वारंटी, गिरफ्तारी वारंटी, उद्घोषित अपराधी, धारा 299 सीआरपीसी में वांछित, विभिन्न प्रकरणों में वांछित एवं अन्य अधिनियमों सहित कुल 205 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जिनमें विभिन्न प्रकरणों के अपराध में वांछित 17 अपराधी, 100 स्थाई वारंटी, मफरूरी में वांछित, गिरफ्तारी वारंटी, सामान्य प्रकरणों में वांछित 25 अपराधी सहित कुल 205 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। जिसमें सबसे अधिक ग्रामीण चित्तौड़गढ़ व भदेसर वृत्त में 41-41 अपराधियों को दबोचा गया। उक्त कार्यवाही के दौरान दो प्रकरण एनडीपीएस एक्ट, 06 प्रकरण आबकारी अधिनियम, एक प्रकरण आर्म्स एक्ट व एक प्रकरण आरएनसी एक्ट में दर्ज किया गया।

कोटा की बालिकाओं ने योगासन स्पर्धा में दमखम दिखाया, राज्य स्तर के लिए होंगी तैयार

कोटा, (निसं)। छठी कोटा योगासन स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप 2025 में राजकीय बालिका गृह की छह बालिकाओं ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विभिन्न वर्गों में शीर्ष स्थान प्राप्त किए।

सब-जूनियर ग्रुप में दो बालिकाओं ने भाग लिया, जिनमें से एक बालिका ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया, वहीं जूनियर ग्रुप में चार बालिकाओं ने भाग लेकर क्रमशः प्रथम, तृतीय, चतुर्थ और पंचम स्थान पर अपनी प्रतिभा का परचम लहराया।

हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी संचेतन संस्था की भारती गौड़ द्वारा राजकीय बालिका गृह एवं नारी निकेतन की बालिकाओं को योग प्रतियोगिता में भाग दिलवाया गया और उन्हें प्रतियोगिता की विशेष तैयारी भी करवाई गई। राजकीय बालिका गृह की अधीक्षक अंशुल मेहंदीरत्ता ने जानकारी दी कि पिछले कई वर्षों से यहां की बालिकाएं योगासन प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं और विभिन्न स्तरों पर स्थान प्राप्त कर रही हैं।

बालिकाओं की इस उपलब्धि पर बाल कल्याण समिति, सहायक निदेशक रामराज मीणा एवं संरक्षण अधिकारी दिनेश शर्मा ने बालिकाओं को बधाई देते हुए राज्य स्तरीय प्रतियोगिता की तैयारी में जुटने हेतु प्रोत्साहित किया।

बहनों ने बांधी ऊर्जा मंत्री नागर की कलाई पर स्नेह की डोर

कोटा, (निसं)। सुबह से बीरबसी का व्रत कर अपने भाईयों की उन्नति, प्रगति और समृद्धि की कामना कर रही महिलाओं को लाड़ले भाई ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर का साथ मिला। लाड़ली बहना रक्षासूत्र समारोह के दौरान ऊर्जा मंत्री को भाई के रुप में अपने बीच पाकर प्रफुल्लित थी।

देवली और कनवास भाजपा मण्डल का लाड़ली बहना रक्षासूत्र समारोह रविवार को दरा रोड़ कनवास स्थित खेल ग्राउंड में आयोजित किया गया। जहां बहनों ने अपने साथ लाए रक्षा सूत्र और श्रीफल के साथ राखी बांधी। बहनें ऊर्जा मंत्री के मस्तक पर रोली और अक्षत का टीका लगाकर बलाइयां लेती रही। वेद विद्यालय के छात्रों ने वैदिक मंत्रोच्चारण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। समारोह को संबोधित करते हुए ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि ईश्वर की कृपा से ऐसा संयोग बना है कि आज बीरबसी के

■ बीरबसी के व्रत पर बहनों को मिला भाई का साथ

■ कनवास में लाड़ली बहना रक्षासूत्र समारोह सम्पन्न

ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने बहनों से रक्षा सूत्र बंधवाए।

दिन अपनी बहनों के बीच में आना हुआ है। बहनों के बीच रहने पर हमेशा सुख और असीम संतोष की अनुभूति होती है। जब गांव में जाते हैं तो बहनें अपनी समस्याओं से अवगत करवाती हैं। इसलिए हर घर को नल का जल, हर खेत को पानी और रास्तों का सुदृढ़ीकरण करने का संकल्प किया है। हमारे संकल्प की सिद्धि में बहनें विश्वास की शक्ति बन रही हैं। उन्होंने कहा कि बहनों को आर्थिक रूप से सक्षम और स्वावलंबी बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। राजीविका मिशन के समूह का सुदृढ़ीकरण कर लोन दिलाने का काम कर रहे हैं। वहीं उद्योग और उत्पादों को मार्केट दिलाने के लिए भी कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि पहले जब दूधियाखेड़ी माताजी पर कार्यक्रम किया था तो कांग्रेस के लोगों ने उसे वोट से जोड़ा था, लेकिन मैं आपको यह विश्वासपूर्वक कहता हूं कि आपसे विश्वास और प्रेम की यह डोर सदा बंधी रहेगी। इस डोर को कभी टूटने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि हमारी आने वाली पीढ़ियां स्वस्थ और सशक्त बनें, इसके लिए सुपोषित मां अभियान की शुरुआत की हैं। गर्भवती बहनें स्वस्थ रहें। उनका बच्चा स्वस्थ हो, यह हमारा संकल्प है। पोषण किट के साथ स्वास्थ्य जांच और दवा देने का काम भी करेंगे।

इस अवसर पर जिला प्रमुख मुकेश मेघवाल, प्रधान जयवीर सिंह अमृतकुआं, उप प्रधान ओम नागर अडूसा, अंजना मीना, धनराज मीणा, आशा त्रिवेदी, मंडल अध्यक्ष सत्यवान नागर, विजयशंकर सैनी, पूजा कुमारी, गुड्डी बाई, दुष्यंत शर्मा, नरेंद्र मोहन गौतम, हेमलता, महावीर, दुर्गाशंकर गुर्जर, नंदकिशोर मालव, शिवराज मालव, ईश्वर मालव, कौशल सोनी, धनराज नागर समेत कई लोग मौजूद रहे।

Government of India

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE

Regional Office, Gandhinagar, A Wing-407 & 409, "Aranya Bhawan", Near Ch-3 Circle, Sector-10a, Gandhi Nagar-382010

Email: Iro.gandhingr-mefcc@gov.in

Online Proposal No. - FP/RJ/ROAD/488019/2024 **Dated : 01/07/2025**

To,

Principal Secretary (Forest and Environment),
Department of Forest and Wildlife
Goverment of Rajasthan
Vaniki Path, Near Secretariat
Jaipur-302005 (Rajasthan)

Subject : **Proposal for non-forestry use of 1.71 ha of forest land under Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 in favour of M/s PUBLIC WORKS DEPARTMENT for Baran Territorial Division in Forest Division, District BARAN (RAJASTHAN)**

Name of Road - Garda Gopalpura To Rajakhera

Sir/Madam,

This is in reference to the online proposal no. FP/RJ/ROAD/488019/2024 dated 15/07/2024 on the above- mentioned subject seeking prior approval of the Central Government in accordance with section'2 of the Van (Samrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 and to say that the proposal has been examined by Regional Office, as per extant rules and regulations. After the examination, the undersigned directed to convey the **"In-Principle/Stage-I"** approval of the Central Government under section 2 of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 for the proposal for non-forestry use of 1.71 ha of forest land under Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 in favour of M/s PUBLIC WORKS DEPARTMENT for Baran Territorial Division in Forest Division, District BARAN (RAJASTHAN) subject to the fulfillment of the following condition :

1. General Conditions

S.No.	Conditions
1.1	Compensatory afforestation over the degraded forest land double in extent to the forest land being diverted shall be raised and maintained by the State Forest Department at the cost of the User Agency; Or Compensatory afforestation over the non-forest land equal in extent to the forest land being diverted shall be raised and maintained by the State Forest Department at the cost of the User Agency
1.2	Legal Status of the diverted foret land shall remain unchanged
1.3	The non-forest land identified for raising compensatory afforestation shall be transferred and mutated in favour of the State Forest Department before issue of the Stage-II clearance
1.4	The non-forest land transferred and mutated in favour of the State Forest Department shall be notified by the State Government as RF under section-4 or PF under Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 or under the relevent section(s) of the local Forest Act, 1927 latest
	within a period of six months from the date of issue of Stage-II approval. The Nodal Officer shall report compliance in this regard along with a copy of the original notification declaring the non-forest land under section 4 or Section 29 of the Indian Forest Act, 1927, as the case may be, within the stipulated period to the Central Government for information and record
1.5	The land identified for the purpose of CA shall be clearly depicted on a Survey of Indian toposheet of 1:50,000 scale
1.6	The User Agency shall transfer the cost of raising and maintaining the compensatory afforestation, at he current wage rate, to the State Forest Department. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.
1.7	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) of the forest land being diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 28.03.2008, 24.04.2008 and 09.05.2008 in Writ Petition (Civil) No. 202/1995 and the guidelines issued by this ministry vide its letter No. 5-3/2007-FC dated 05.02.2009 in this regard
1.8	At the time of payment of the Net Present Value (NPV) at the then prevailing rate, the User Agency shall furnish as undertaking to pay the additional amount of NPV, if so determined, as per the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India.
1.9	All the funds received from the user agency under the project, except the funds realized for regeneration/ demarcation of safety zone, shall be trasferred to Ad-hoc CAMPA in the Savings Bank Account pertaining to the State concerned.
1.10	The User Agency shall obtain the Environment Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if required.
1.11	The boundary of the diverted forest land, shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, forward and back bearing and distance from pillar to pillar
1.12	The User Agency, if required, will undertake comprehensive soil conservation measures in the area being diverted at the project cost in consultation with the State Forest Department. A scheme of the same may be submitted along with the compliance report
1.13	No labour camp shall be established on the forest land

(Cont.)